	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 15, रविवार, शाके 1945-अगस्त 06, 2023 *Sravana 15, Sunday , Saka 1945- August 06, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 05, 2023

संख्या प. 9(18)राज-1/2022-(2) :- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न प्रकार आदेश प्रदान करती है:-

<u>जिलों का गठन/पुनर्गठन</u>

1. बालोतरा-बाड़मेर जिले का पुनर्गठन किया जा कर नया जिला बालोतरा गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय बालोतरा होगा।

नवगठित बालोतरा जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती है:-

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
बालोतरा	1. बालोतरा	पचपदरा
		कल्याणपुर
	2. सिवाना	सिवाना
		समदड़ी
	3. बायतु	बायतु
		गिड़ा
	4. सिणधरी	सिणधरी

2. बाडमेर- पुनर्गठित बाड़मेर जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी:-

जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
बाडमेर	1. बाड़मेर	बाड़मेर
		बाडमेर ग्रामीण
		बाटाडू
	2. गड़रारोड़	गड़रारोड़
	3. रामसर	रामसर
	4. चौहटन	चौहटन
		धनाउ
	5. धोरीमन्ना	धोरीमन्ना

	6. गुड़ामालानी	गुड़ामालानी
		नोखडा
	7. सेडवा	सेडवा
	8. शिव	शिव

यह अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 से प्रभावी होगी।

अपर्णा अरोरा,
अतिरिक्त मुख्य सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।